

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 10/2026

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री काला सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह (विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स- न्यू रायॅल स्वीट शॉप, शॉप नं. सी-4, एकम एवेन्यू, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड नं. 5, वीपीओ-2 एलएल, धालेवाला, श्रीगंगानगर।



अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक-संख्या प.5 (01) चिस्सा / गुप-3 / ई-5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक-आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2025 को समय 01.30 पीएम बजे को मैसर्स- न्यू रायॅल स्वीट शॉप, शॉप नं. सी-4, एकम एवेन्यू, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मोके पर विक्रेता श्री काला सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह को अपना परिचय देकर उक्त संस्थान के निर्माण ईकाई का निरीक्षण कर संस्थान पर चार टीन के अंदर रखे खाद्य पदार्थ **खुरमानी मिठाई** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का प्रोपराईटर बताया व संस्थान पर चार टीन के अंदर रखे लगभग 60 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **खुरमानी मिठाई(छैना, चीनी, सूजी, मैदा, अशारोट, बैकिंग पाउडर, एडिबल फूड कलर)** से निर्मित व आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही प्रोपराईटर को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मोके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराइटर तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री काला सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह (विक्रेता व प्रोपराइटर) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री काला सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह (विक्रेता व प्रोपराइटर) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

3
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ लगभग 60 किलोग्राम खुरमानी मिठाई में से 2 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। प्रोपराइटर को मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ खुरमानी मिठाई का नगद भुगतान 560 रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर प्रोपराइटर तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ खुरमानी मिठाई को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोटलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोटल में फार्मेलिन की 40-40 बूंदें डालकर कसाकर ढक्कन बंद किया और चारों बोटलों पर लेवल तैयार कर चिपकाए और लेवलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-3138 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के-3138 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को आपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर प्रोपराइटर एवं विक्रेता तथा गवाहन को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री काला सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह (विक्रेता व प्रोपराइटर) एवं गवाहन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./1531/Act/2025/1531 Dated 31.10.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-3138 SubStandard Food होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त काला सिंह पुत्र श्री

2
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

गुरबवश सिंह (विकेता व प्रोपराईटर), मैसर्स- न्यू रायल स्वीट शॉप, शॉप नं. सी-4, एकम एवेन्सू, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड नं. 5, वीपीओ-2 एलएल, धालेवाला, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का खुरमानी मिठाई विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 02.02.2026 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी गाव 2 एलएल धालेवाला, श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी मै. न्यू रायल स्वीट भंडार का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 26/163 दिनांक 03.02.2026 का दिया है कि आपकी दुकान में खुरमानी मिठाई की जांच की गई तो खुरमानी मिठाई सबस्टैंडर्ड फूड पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त खुरमानी मिठाई में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण संख्या 10/2026 है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया खुरमानी मिठाई का सैम्पल K-3138 स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक- L.S./1531/Act/2025/1531 Dated 07.11.2025 **SubStandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।



बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Khurmani Mithai" bearing Code No and Sr. No. K-3138, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त काला सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह (विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स- न्यू रायॅल स्वीट शॉप, शॉप नं. सी-4, एकम एवेन्यू, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड नं. 5, वीपीओ-2 एलएल, धालेवाला, श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त काला सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह (विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स- न्यू रायॅल स्वीट शॉप, शॉप नं. सी-4, एकम एवेन्यू, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड नं. 5, वीपीओ-2 एलएल, धालेवाला, श्रीगंगानगर को राशि रुपये 12,000-00 (अखरे रुपये बारह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासक)
श्रीगंगानगर